VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

September 2016 – October 2016

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION

विषय सूची

1. भारत और इसके पड़ोसी देश ____ *4*

1.1. भारत-पाकिस्तान ____ 4

1.2 भारत-चीन ____ 5

1.2.1 पृष्ठभूमि ____ 5

1.2.2 चीन-पाक धुरी ____ 6

1.3. भारत-अफगानिस्तान ____ 7

1.4. APTTA (अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार समझौता) ____ 7

1.5 भारत-भूटान ____ 8

1.6. सार्क शिखर सम्मलेन ____ 8

2. पूर्वी एशिया ____ *10*

2.1. भारत-आसियान ____ 10

2.2. भारत-सिंगापुर ____ 12

2.3. भारत-वियतनाम ____ 13

3. पश्चिम एशिया ____ *15*

3.1.भारत-मिस्र ____ 15

4. भारत-रूस ____ *17*

4.1. भारत-रूस संबंध ____ 17

4.2. रूस-पाकिस्तान ____ 17

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ ____ *19*

5.1. ब्राजील में सत्ता परिवर्तन ____ 19

5.2. प्रवासी और शरणार्थी ____ 19

5.2.1. प्रवासियों और शरणार्थियों पर न्यूयॉर्क घोषणा ____ 19

5.2.2. शरणार्थियों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट ____ 21

6. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह और शिखर सम्मेलन ____ *23*

6.1. G-20 शिखर सम्मेलन ____ 23

6.2. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 17वां शिखर सम्मलेन ____ 24

6.3. बिम्सटेक ____ 26

6.4. ब्रिक्स ____ 27

6.4.1 ब्रिक्स का आठवां शिखर सम्मलेन ____ 27

6.4.2. ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी ____ 28

6.4.3 एक्जिम बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन ____ 28

6.5. परमाणु निरस्त्रीकरण ____ 29

VISION IAS

6.5.1. निरस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति ____ 30
6.6. भारत और AARDO के बीच समझौता ज्ञापन ____ 30
6.7. मालदीव का राष्ट्रमंडल से इस्तीफा ____ 31
6.8.अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ____ 31
6.9. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ____ 32
6.10. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का भाषण ____ 33

1. भारत और इसके पड़ोसी देश

(INDIA AND ITS NEIGHBOURS)

1.1. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उरी हमले के परिणामस्वरूप कई विशेषज्ञों ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रद्द करने और पाकिस्तान को दिये गये MFN दर्जे को वापस लेने की मांग की है।

सिंधु जल संधि (IWT)

सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किये गए थे।

- भारत से होकर पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु और इसकी पांच सहायक नदियों के लिए वर्ष 1960 में हुई संधि की मध्यस्थता **विश्व बैंक (तत्कालीन IBRD)** द्वारा की गई थी और नियंत्रण रेखा पर यह संधि युद्ध और संघर्ष के बावजूद बनी रही है।
- संधि, दोनों देशों में प्रवाहित होने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग को प्रशासित करती है।
- संधि के अनुसार, **व्यास, रावी और सतलुज भारत द्वारा शासित होंगी, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम का पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण किया जाएगा।**
- सिंधु के भारत से हो कर बहने के कारण इसके 20 प्रतिशत जल का भारत द्वारा सिंचाई, विद्युत उत्पादन और परिवहन प्रायोजनों के लिए उपयोग करने की अनुमति है।
- संधि के कार्यान्वियन और इसके प्रबंधन हेतु एक **स्थायी द्विपक्षीय आयोग** की स्थापना की गई थी। आयोग, जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करता है।
- संधि भी सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता तंत्र की व्यवस्था करती है।
- हालांकि सिंधु तिब्बत से निकलती है, लेकिन इस संधि से चीन को बाहर रखा गया है। यदि चीन नदी के प्रवाह को रोकने या बदलने का निर्णय करता है, तो यह भारत और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित करेगा।
- जलवायु परिवर्तन के कारण तिब्बत के पठार में बर्फ पिघल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में नदी पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
- भारत और पाकिस्तान, विभाजन के बाद से दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपस में टकराव हुए हैं लेकिन संधि के अनुमोदन के बाद से जल को लेकर कोई लड़ाई नही हुई है।
- उरी हमले के परिणामस्वरूप, कई विशेषज्ञों ने भारत द्वारा पाकिस्तान के प्रति उदार शर्तों वाली सिंधु जल संधि से स्वयं को अलग करने की मांग की है। हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि IWT का पालन किया जाएगा, कम से कम वर्तमान में कुछ समय के लिए तो अवश्य ही। लेकिन केंद्र ने इसके स्थान पर सिंधु जल के उपयोग के इष्टतम उपयोग हेतु उपायों की एक सूची बनाई है। भारत अभी तक सिंधु के जल का इष्टतम उपयोग नहीं कर सका है।
- केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि पर भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
- सरकार ने पश्चिमी नदियों पर अधिक रन-ऑफ-द-रिवर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए, 18,600 मेगावाट की पूरी क्षमता का दोहन करने का निर्णय लिया (वर्तमान परियोजनाएं 11,406 मेगावाट तक की हैं)।
- तुलबुल नौवहन परियोजना को पुनः आरंभ करने के सबंध में पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1987 में पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद भारत द्वारा इसे निलंबित कर दिया था।

यदि भारत IWT रद्द करता है

- निरस्त करने से क्षेत्रीय स्थिरता और विश्व स्तर पर भारत की साख को खतरा होगा।

VISION IAS

- यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जम्मू और कश्मीर के खेतों की सिंचाई के लिए बेहतर अल्पकालिक योजना से परे इन "पश्चिमी" नदियों के सन्दर्भ में भारत की मंशा क्या है ।
- पाकिस्तान में जल स्तर को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने के लिए सिंधु नदी की सहायक नदियों के जल को रोकने हेतु जिन बांधों की आवश्यकता होगी, उन्हें बनाने में दस वर्षों से भी अधिक समय लग जायेगा।
- ऐसे कार्यों के पर्यावरण और भू-राजनीतिक परिणामों को देखते हुए किसी भी अंतरराष्ट्रीय फंड के प्राप्त होने की संभावना नहीं है।
- सिंधु नदियों के जल को रोकने पर विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं:
  - ✓ भारत की अन्य पड़ोसियों के साथ जल बंटवारे की व्यवस्था है। सिंधु संधि का सम्मान न करना उन्हें असहज और अविश्वासी बना देगा।
  - ✓ यदि चीन, कुछ ऐसा ही करने का फैसला करता है तो भारत अपनी आवाज खो देगा।

सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)

- सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र एक व्यापार भागीदार को दिया जाने वाला दर्जा है। यह अन्य देशों की तुलना में दो व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव रहित व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत एक सदस्य देश अपने व्यापारिक भागीदारों से भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि एक व्यापारिक भागीदार को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को यह दिया जाना होगा।
- यद्यपि भारत ने यह दर्जा पाकिस्तान को वर्ष 1996 में ही दिया था तथापि उसने ऐसा न करके अब तक इसका प्रतिफल नहीं चुकाया है।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2015-16 में केवल 2.6 अरब डॉलर था (जिनमें से 2.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को भारत द्वारा किया गया निर्यात है)। यह एक वर्ष में भारत के वस्तु व्यापार (643.3 $ अरब डॉलर) के कुल मूल्य के केवल 0.4 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
- अतः भले ही भारत MFN का दर्जा रद्द कर दे, किन्तु इसका केवल **'प्रतीकात्मक' प्रभाव पड़ेगा।**

1.2 भारत-चीन

(India-China)

1.2.1 पृष्ठभूमि

(Background)

भारत-चीन के मध्य बेहतर संबंध, प्राचीन सभ्यताओं के समय से विद्यमान रहा है जिसने दोनों पड़ोसी देशों को समृद्ध किया है। वैश्विक मंच पर दोनों देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थायें और प्रमुख शक्तियां हैं। हमारे संबंधों ने द्विपक्षीय दायरे को पार कर लिया है तथा क्षेत्रीय, वैश्विक एवं रणनीतिक महत्व प्राप्त किया है।

चीन और भारत के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **व्यापार से संबंधित पहलु-** चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
- **बाजार से संबंधित पहलु –** चीन, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए बड़ा संभावित बाजार है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे चीनी निर्मित उत्पादों के लिए भारत,एक बड़ा बाजार है।
- **निवेश से संबंधित पहलु -** चीन के पास नकदी और विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में अधिशेष है जिसकी सख्त आवश्यकता भारत को अपनी आधारभूत संरचना से सम्बंधित परियोजनाओं के लिए है जबकि चीन को अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ अपने विदेशी मुद्रा करार से छुटकारा पाने के लिए NDB और AIIB में भारत से सहयोग की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग-** उदाहरण के लिए, दोनों देश ब्रिक्स एवं NDB के सदस्य हैं। भारत, चीन समर्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) का एक संस्थापक सदस्य भी था।

चिंता के क्षेत्र

- **हिमालय सीमा विवाद**
  - ✓ भारत और चीन, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दें पर सहमत नहीं है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है जबकि भारत का कहना है कि चीन अवैध रूप से अक्साई चीन पर कब्जा कर रहा है।

VISION IAS

- ✓ दोनों पक्षों के बीच अक्साई चीन के मुद्दें पर 1962 में एक अल्पकालीन युद्ध हुआ था।
- **चीन की सामरिक गतिविधियाँ**
- ✓ बीजिंग उस क्षेत्र की और बढ़ रहा है जिसे नई दिल्ली ने पारंपरिक रूप से अपने भूखंड के रूप में देखता है।
- ✓ चीन, "मरीन सिल्क रोड" पहल के माध्यम से श्रीलंका और मालदीव जैसे भारत के निकटतम पड़ोसी देशों तक पहुँच स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
- ✓ चीन सक्रिय रूप से नेपाल और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देशों में अपनी उपस्थिति को बढाने की कोशिश कर रहा है।
- **मोतियों की माला**
- ✓ हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भारत अत्यंत अशांत है।
- ✓ "मोतियों की माला" रणनीति, चीन के हितों को भारत के चारों ओर के देशों- श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़ती है।
- **बफर राज्य पर प्रभाव**
- ✓ जल संसाधन संपन्न देश नेपाल पर प्रभाव डालने हेतु प्रतिस्पर्धा कई वर्षों से चल रही है, साथ ही चीन, भारत के पारंपरिक सहयोगी को सड़कों एवं पनबिजली बांधों जैसी आधारभूत संरचना सम्बन्धी परियोजनाओं हेतु आमंत्रित कर रहा है।
- ✓ भारत और चीन के बीच नेपाल की अवस्थिति इसे दो एशियाई दिग्गजों के बीच एक बफर राज्य के रूप में, भू-राजनैतिक सामरिक स्थिति प्रदान करता है। यह तिब्बत के साथ एक लम्बी सीमा रेखा साझा करता है जो चीन और भारत के बीच तनाव को कम करता है।
- **दक्षिण चीन सागर का मुद्दा**
- ✓ चीन, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अपने प्रभुत्व पर दृढ़तापूर्वक बल दे रहा है जबकि भारत,अपने मत पर अडिग है तथा नौपरिवहन एवं अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता की वकालत कर रहा है।
- **नदी जल मुद्दे**
- ✓ भारत और चीन के बीच विवाद मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों देशों में बहने के संबंध में है।
- ✓ ब्रह्मपुत्र नदी के जल संसाधनों के मार्ग को परिवर्तित कर भारत से दूर करने के चीनी प्रयासों के कारण उत्पन्न स्थिति, 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय से तनावपूर्ण बनी हुयी है।
- ✓ हाल ही में, चीन ने एक प्रमुख पनबिजली परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिसका निर्माण 2014 में प्रारंभ हुआ था।
- **रणनीतिक संतुलन को बनाए रखना-** यदि भारत-चीन संबंध और अधिक खराब होते हैं तो भारत को मजबूती से अमेरिका की ओर आकर्षित किया जा सकता है। वस्तुतः भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती मित्रता चीन की बढ़ती आक्रामक भावनाओं की वजह है।
- **पाकिस्तान को चीन का समर्थन** (नीचे वर्णन किया गया है)

1.2.2 चीन-पाक धुरी

(China-Pak Axis)

चिंता के प्रमुख क्षेत्र

- **UNSC और NSG की सदस्यता-** चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद(UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश का विरोध किया। जबकि, पाकिस्तान की एक परमाणु प्रसारक के रूप में साख को भूल UNSC में उसके प्रवेश पर जोर दिया।
- **आधारभूत संरचना में निवेश-** चीन,चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में निवेश कर रहा है, जो चीन में झिंजियांग प्रांत के काशगर को पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के साथ जोड़ेगा।
- **आतंकवाद-** चीन द्वारा पाकिस्तान के कुख्यात जिहादी आतंकवादी संगठन प्रमुख, मसूद अजहर की रक्षा की जा रही है जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध है। यह कदम चीन के एक महाशक्ति बनने की इच्छा और वैश्विक सुरक्षा में एक 'जिम्मेदार हितधारक' होने के दावे के विरुद्ध है।

- **सैन्य दुस्साहस को प्रोत्साहन** - चीन न केवल भारत के लिए समग्र पाकिस्तान समस्या का एक हिस्सा है, बल्कि अब CPEC के रूप में चीन के अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामरिक उद्देश्य के साथ, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य दुस्साहस को प्रोत्साहित करने में इसका योगदान काफी हद तक बढ़ गया है।

भारत के लिए आगे की राह

- भारत और चीन दोनों एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्जा चाहते हैं जो उनके आकार, शक्ति और क्षमता के अनुरूप हो।
- संबंध में समानता स्थापित के लिए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का निर्माण और चीन के साथ शक्ति अंतराल को समाप्त करने की शुरूआत करना आवश्यक है ।
- दोनों देशों के बीच इस तरह का सहयोग उन्हें वैश्विक प्रभावों को पुनर्संतुलित करने और विश्व में एक बेहतर समझौता वार्ता स्तर को विकसित करने में समर्थ कर सकता है।
- चीन और पाकिस्तान पर भारत की विदेश नीति के निर्माण और दृष्टिकोण को अलग अलग विदेश नीति नियोजन क्षेत्र के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक हाइफेनेटेड (सामासिक) रणनीतिक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए।

1.3. भारत-अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने भारत का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

- भारत और अफगानिस्तान ने वांछित आतंकवादियों और अपराधियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों पक्षों ने बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के शांतिपूर्ण उपयोग तथा नागरिक व वाणिज्यिक मामलों में सहयोग पर भी समझौते किए।
- भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, अवसंरचना और लोकतान्त्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने जैसे क्षेत्रों में 'क्षमता और योग्यता निर्माण' के लिए एक बिलियन डॉलर के सहयोग का वादा किया है।
- भारत ने अफगानिस्तान को सस्ते औषधीय उत्पाद और दवाइयों का भी प्रस्ताव दिया है।

1.4. APTTA (अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार समझौता)

(APTTA [Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement])

अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार समझौता (जिसे **APTTA** के नाम से भी जाना जाता है) पाकिस्तान और अफगानिस्तान द्वारा 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह समझौता दो देशों के बीच माल की आवाजाही को काफी हद तक सुगम बनाने के लिए किया गया है।

- 2010 में हस्ताक्षरित APTTA, दोनों देशों को नामित ट्रांजिट गलियारों से ट्रांजिट व्यापार के लिए एक दूसरे के हवाई अड्डों, रेल मार्गों, सड़कों, और बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देता है।
- यह समझौता किसी तीसरे देश के सड़क परिवहन वाहन को कवर नहीं करता है, चाहे वह भारत से हो या मध्य एशिया का कोई अन्य देश।
- APTTA समझौता अफगान ट्रकों को पाकिस्तान से होते हुए वाघा क्रॉसिंग पॉइंट तक भारत को किये जाने वाले निर्यात के परिवहन की अनुमति देता है, लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान के क्षेत्र से भारतीय माल को आयात करने का अधिकार नहीं देता है।

APTTA से जुड़ी समस्यायें

एकजुटता पैदा करने के बजाय APTTA स्वयं बहुत बड़ी कलह का कारण बन गया है।

- भारत-पाकिस्तान के कटु संबंधों का अर्थ यह है कि जल्दी खराब होने वाले फल लाने वाले अफगान ट्रकों को सीमा के दोनों तरफ लम्बी देरी का सामना करना पड़ता है जहाँ उन्हें अक्सर माल को एक बार से अधिक लोड और अनलोड करना पड़ता है।

VISION IAS

- पाकिस्तान ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनी द्वारा भारत को भी काबुल के साथ इस ट्रांजिट व्यापार संधि का एक पक्ष बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
- भारतीय विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में आयोजित पिछले हार्ट ऑफ़ एशिया मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में अफगानिस्तान-पाकिस्तान व्यापार और ट्रांजिट समझौते (APTTA) में सम्मिलित होने के संबंध में भारत की इच्छा व्यक्त की थी।

अलग व्यापारिक मार्ग

भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, एक दूसरे को व्यापार समीकरण से बाहर करने के लिए बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

- भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए एक गलियारे पर काम कर रहा है, जहाँ माल भूमि मार्ग से जाएगा और पाकिस्तान को छुए बिना ज़रांज-डेलाराम राजमार्ग तक पहुँच जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस राजमार्ग का विकास भारत द्वारा किया गया है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) तैयार हो जाने के बाद पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान दोनों की सीमा को छुए बिना PoK और गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरने वाली छोटी-सी पट्टी के माध्यम से सीधे चीन से जुड़ जाएगा।
- अफ़गानिस्तान भी उत्तर में अपने विकल्प खोज रहा है। यह चीन की *वन बेल्ट, वन रोड* योजना में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है।

1.5 भारत-भूटान

(India-Bhutan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था के लिए एक नए समझौते को मंजूरी दी गयी।
- इससे पहले भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर 10 वर्ष की अवधि के लिए 29 जुलाई 2006 को किया गया था।

नए समझौते के बारे में

- नया समझौता निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:
- दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था।
- तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भूटान के माल को शुल्क मुक्त पारगमन की सुविधा।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपए और भूटान मुद्रा (नोंग्त्रुम) में निष्पादित किया जाना जारी रहेगा।
- नए समझौते के अंतर्गत, तीसरे देश में उत्पादित होने वाले माल के साथ-साथ दोनों देशों के माल के परिवहन हेतु भारत और भूटान के बीच वार्षिक विचार-विमर्श की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

1.6. सार्क शिखर सम्मेलन

(SAARC Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उरी हमले के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय रूप से और उसके आस-पड़ोस से अलग-थलग करने के लिए आक्रामक कूटनीतिक आरंभ कर दी है।

- भारत ने इस वर्ष नवम्बर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन से बाहर रहने का फैसला किया है। अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी भारत का अनुसरण करने का फैसला किया है।
- यह फैसला अभूतपूर्व है क्योंकि इस प्रकार का फैसला पहली बार लिया गया है जब भारत ने पाकिस्तान अवस्थित तत्वों के कारण क्षेत्रीय समूह के शिखर सम्मेलन की बैठक में भागीदारी को रद्द कर दिया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा सम्मेलन की बैठक में भाग न लेना दक्षिण एशिया के आर्थिक एकीकरण में बाधा बन सकता है।

VISION IAS

'पाकिस्तान रहित सार्क'

इस्लामाबाद में निर्धारित सार्क शिखर सम्मेलन में भाग न लेकर सरकार दो उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश कर रही है: पहला तो **उरी हमले** के मद्देनजर एक कठोर सन्देश भेजना और दूसरा यह कि भारत 'पाकिस्तान रहित सार्क' की अपनी योजना के साथ बढ़ रहा है।

- पिछले नेपाल शिखर सम्मेलन के बाद से, पाकिस्तान ने क्षेत्र में बेहतर जुड़ाव (लिंक) के सभी प्रोटोकॉल अवरुद्ध किये हैं, वहीँ दूसरी और भारत अपने पसंदीदा समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए 'पाकिस्तान रहित सार्क' योजना का अनुसरण कर रहा है।
- मोटर वाहन आवागमन समझौता (Motor vehicle movement agreement), रेलवे लिंकेज, और सार्क उपग्रह कार्यक्रम आदि पर पाकिस्तान के अतिरिक्त सभी सार्क देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत से अफगानिस्तान की जमीन तक पहुंचा नहीं जा सकता है, इसलिए दोनों सरकारों ने कार्गो के लिए एक अलग "हवाई गलियारे" पर चर्चा की है।
- उक्त विज़न (परिकल्पना) में अधिक स्पष्टता मध्य-अक्टूबर में प्रत्याशित है, जब गोवा (भारत) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग **बिम्सटेक आउटरीच शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया जाएगा।
- भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, और श्रीलंका का एक अन्य समूह, प्रथम SASEC (सासेक) ऑपरेशनल प्लान 2016-2025 को जारी करने के लिए दिल्ली में **दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (साउथ एशिया सब-रीजनल इकोनोमिक कोऑपरेशन: SASEC) कार्यक्रम** में एकत्रित हुआ।
- SASEC के प्रमुख वित्तपोषक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने लगभग 7.7 बिलियन डॉलर मूल्य की तकरीबन 40 आधारभूत संरचना और IT सम्बन्धी परियोजनाओं को मंजूरी पहले ही दे दी है।

पाकिस्तान की कार्रवाई

- पाकिस्तान को सार्क के बाहर कई अन्य देशों (मुख्य रूप से चीन) से समर्थन मिलता रहता है और साथ ही पाकिस्तान ने रूस के साथ भी सम्बन्ध स्थापित किये हैं। दोनों देशों ने अपना पहला सैन्य अभ्यास उरी हमले के ठीक बाद पाकिस्तान में किया था। ईरान ने भी पैसेज एक्सरसाइज (PASSEX) में भाग लेने के लिए कराची बंदरगाह पर अपने चार नौसैनिक युद्धपोत भेजे थे।

भारत के लिए आगे की राह

एक आर्थिक संघ समय की मांग है। यदि भारत को एक आर्थिक शक्ति बनने संबंधी अपनी वैश्विक इच्छाओं को पूरा करना है तो उसे ही नेतृत्व करना होगा और एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जो अवसर प्रदान कर सके तथा केवल सुरक्षा चिंताओं के कारण उसे आगे बढ़ाने से रोका न जाए।

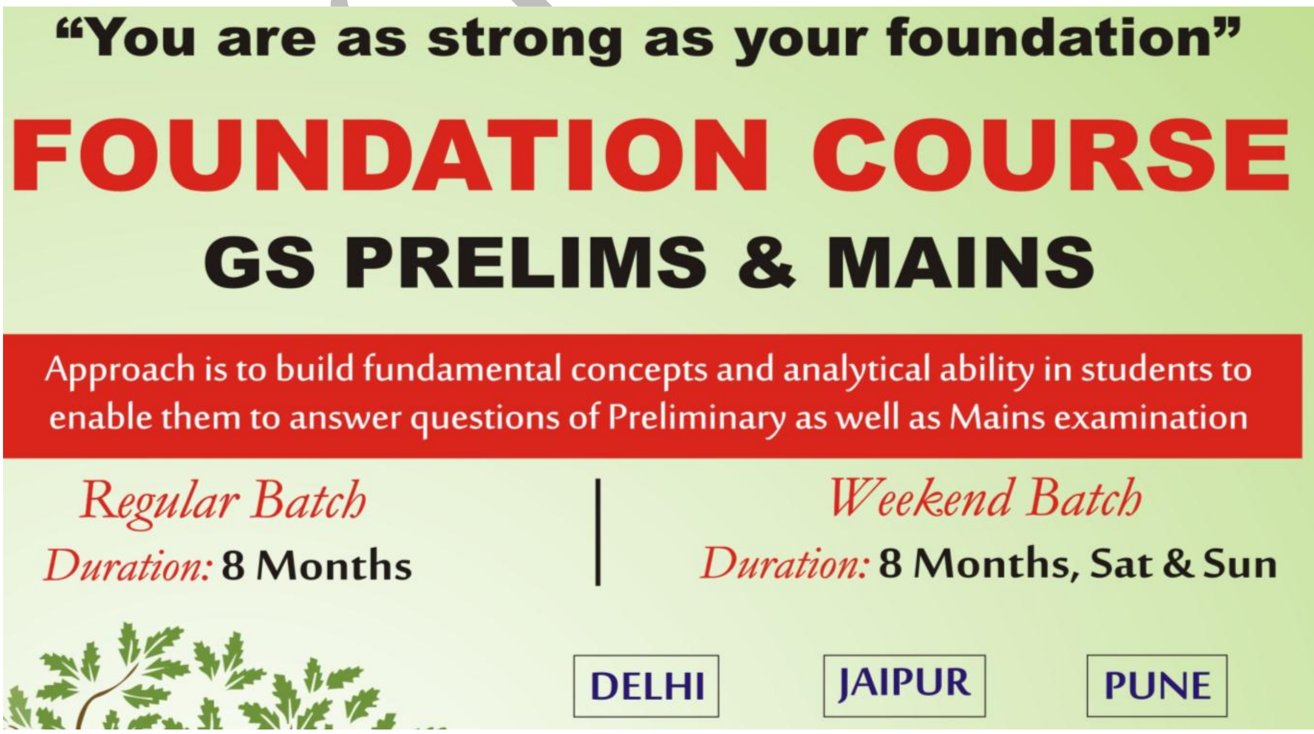

2. पूर्वी एशिया

(EAST ASIA)

2.1. भारत-आसियान

(India-ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियनतियाने में आयोजित 14वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मे भाग लिया।

भारत-आसियान संबंधों का इतिहास एवं क्रमिक विकास भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की नीति का पालन किया एवं वह दक्षिण-पूर्व एशिया सहित अपने क्षेत्र में उपनिवेशवाद की समाप्ति का चैंपियन बन गया। लेकिन 1970 के दशक के दौरान सोवियत संघ के प्रति भारत का झुकाव अनुभव किया गया जिसके कारण दक्षिण-पूर्व एशिया भारत से दूर होता गया क्योंकि सोवियत संघ एवं दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों भिन्न–भिन्न प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का पालन कर रहे थे।

- भारत ने अपनी नीतियों में शीत युद्ध युग से बड़ा परिवर्तन करते हुए, 1991 में आर्थिक उदारीकरण के शीघ्र बाद ही, चीन जैसे पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए **"लुक ईस्ट नीति" (LEP)** को अपनाया। पिछले वर्षों में इस नीति द्वारा इस क्षेत्र में रणनीतिक और सुरक्षा पहलुओं पर घनिष्ठ संबंधों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **"लुक ईस्ट नीति"** (LEP) के चरण -

✓ **प्रथम चरण:** 1991 और 2002 के मध्य। इस चरण के दौरान प्राथमिक तौर पर आसियान देशों के साथ **नए सिरे से राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना** पर बल दिया गया था।

✓ **द्वितीय चरण** (2003 से 2012) के दौरान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सम्मिलित करने के लिए LEP का कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया था।

✓ LEP का नया चरण, **संचार की सागरीय लेन** की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों एवं **समन्वित आतंकवाद विरोधी गतिविधियों** के शुभारम्भ को सम्मिलित करते हुए **व्यापक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों** पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA),** आसियान के साथ भारत की संलग्नता के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है। इसे गहन आर्थिक एकीकरण की ओर आवश्यक चरण के रूप में देखा गया था।

✓ इसके प्रारंभिक ढांचे पर बाली, इंडोनेशिया में 8 अक्टूबर 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे एवं 1 जनवरी 2010 से प्रवर्तित होने वाले अंतिम समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

✓ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार शुल्क बाधाओं को कम कर दिया एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया।

- भारत को आसियान क्षेत्रीय मंच में अपनी सदस्यता के बाद **1995 में पूर्ण आसियान वार्ता साझेदार की प्रस्थिति** प्रदान की गयी थी।। भारत-आसियान संबंधों ने शीघ्र ही राजनीतिक और साथ ही सुरक्षा क्षेत्रों में अपना सहयोग विस्तारित किया। भारत 2005 में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट: EAS) में भी सम्मिलित हो गया।
- आसियान 2012 से भारत का **रणनीतिक साझेदार** रहा है। भारत और आसियान के बीच 30 वार्ता तंत्र हैं जो नियमित रूप से बैठक करते हैं।
- नवम्बर 2014 में म्यांमार में आयोजित **12वें** आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 9वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में **'एक्ट ईस्ट नीति' (AEP)** की स्थापना के बाद आसियान एवं वृहत्तर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता ने और अधिक गति प्राप्त कर ली है।

VISION IAS

- **AEP** के अंतर्गत भारत से न केवल क्षेत्र के साथ अपनी आर्थिक संलग्नता को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है बल्कि यह **संभावित सुरक्षा सन्तुलनकर्ता के रूप में** उभरने के लिए भी उत्सुक है।
- **वाणिज्य, संस्कृति और कनेक्टिविटी** आसियान के साथ भारत की मजबूत संलग्नता के तीन स्तम्भ हैं।
- भौतिक, डिजिटल, अर्थव्यवस्था, संस्थागत और सांस्कृतिक इत्यादि सभी आयामों में **कनेक्टिविटी** को बढ़ाना देना आसियान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के मूल में रहा है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है ?

यह शिखर सम्मेलन आसियान सदस्यों एवं भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद एवं क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों के अन्य मामलों पर ऐसे समय पर चर्चा की गयी थी जब चीन, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई के साथ दक्षिण चीन सागर में क्षेत्र के स्वामित्व पर उग्र विवाद में संलग्न था।

भारत के लिए आसियान का महत्व:

- **आर्थिक रूप से**: भारत, आसियान का एक रणनीतिक साझेदार है। 1.8 बिलियन की कुल जनसंख्या एवं 3.8 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ आसियान और भारत दोनों मिलकर **विश्व का एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र** निर्मित करते हैं।

भूराजनैतिक रूप से

- भारत, भूराजनैतिक रूप से एवं साथ ही साथ आसियान एवं अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी नवीन मित्रता से लाभान्वित होने की अपेक्षा करता है।
- भारत ने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। **दक्षिण चीन सागर** में नौसंचालन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व का उल्लेख कर भारत ने चीन को एक दृढ़ संकेत दिया है।

समुद्री (maritime) महत्व: समुद्र के माध्यम से होने वाले अपने व्यापार को निर्बाध जारी रखने के लिए **दक्षिण चीन सागर में नौसंचालन की स्वतंत्रता** भारत के लिए आवश्यक है।

- समुद्री मार्ग "विश्व व्यापार की जीवन रेखायें" हैं। भारत नौसंचालन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) पर आधारित हो।
- नौसंचालन की स्वतंत्रता, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं साइबर अपराध इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने के लिए आसियान महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा से जुड़े पहलू: भारत और आसियान विविध क्षेत्रों जैसे आतंकवाद, मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध एवं मलक्का जलडमरूमध्य में समुद्री डकैती इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

कनेक्टिविटी से जुड़े पहलू:

- नेपाल और म्यांमार तथा उससे आगे थाईलैंड जैसे ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गजों तक परिकल्पित राजमार्ग (निर्माणाधीन) एवं रेल कनेक्टिविटी लोगों के मध्य आपसी सम्पर्क में सुधार करेगी तथा इस प्रकार आर्थिक सहयोग और परस्पर निर्भरता के क्षेत्र को बढ़ाएगी।
- असीमित आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित भारत के अत्यधिक अविकसित पूर्वोत्तर राज्य, आर्थिक बदलाव के साक्षी बनेंगे।

ऊर्जा सुरक्षा

- विशेष रूप से म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया जैसे आसियान देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में संभावित रूप से योगदान कर सकते हैं।
- दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार विद्यमान हैं।

आसियान के साथ व्यापारिक संबंध

- वर्ष 2015-16 में भारत और आसियान के बीच 65.04 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ एवं यह विश्व के साथ भारत के व्यापार के 10.12% भाग का निर्माण करता है।

VISION IAS

- जुलाई 2015 में आसियान-भारत निवेश एवं सेवा समझौता लागू होने के बाद, आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण होने से आसियान-भारत आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
- संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते का संपन्न होना, इस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार और निवेश संबंधों को और भी आगे बढ़ाएगा।

पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन (EAS)

- पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सम्मिलित हैं।
- भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को सुदृढ़ करने एवं समकालीन चुनौतियों से निपटने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित महत्वपूर्ण मुद्दे

पूर्व एशिया शिखर समलन (EAS) में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे: आतंकवाद का राज्य-नीति के उपकरण के रूप में प्रयोग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा एवं दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

- प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अधिकतर देश आर्थिक समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण मार्ग का पालन कर रहे थे "किन्तु **भारत के पड़ोस में स्थित एक देश का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ केवल आतंकवाद के उत्पादन और निर्यात में निहित है।**"
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के लिए उन्होंने कहा कि इस समुद्र से गुजरने वाले संचार पथ **"वैश्विक पण्य व्यापार की मुख्य धमनियों"** के समान रहे हैं।
- भारत विशेष रूप से UNCLOS में परिलक्षित कानून के सिद्धांतों पर आधारित नौसंचालन एवं क्षेत्र के ऊपर से वायुयान संचालन एवं अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

2.2. भारत-सिंगापुर

(India-Singapore)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सिंगापुर गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग ने हाल ही में भारत का दौरा किया।

भारत के लिए सिंगापुर का महत्व

- भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक से लेकर रणनीतिक क्षेत्र तक व्यापक संबंध हैं।
- सिंगापुर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे भारतीय राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता रहा है। इसलिए आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है।
- दोनों देश पर्यटन और कौशल विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश रहे हैं।
- सिंगापुर ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाए जाने का समर्थन किया है।
- आसियान में परिदृश्य बदल रहा है। ऐसी स्थिति में, सिंगापुर का अभिमत और भी अधिक महत्वपूर्ण है और भारत-सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी और अधिक सुदृढ़ होने की संभावना है।

VISION IAS

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) और सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के बीच औद्योगिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(NSDC) और ITE एजुकेशन सर्विसेज, सिंगापुर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में असम सरकार और ITE एजुकेशन सर्विसेज, सिंगापुर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- द्विपक्षीय यात्रा के दौरान 'स्मार्ट सिटी ड्राइव " और "कौशल भारत कार्यक्रम" समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए क्योंकि सिंगापुर को दोनों क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।

2.3. भारत-वियतनाम

(India-Vietnam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की वियतनाम यात्रा, भारत एवं वियतनाम के संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी जी की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने संबंधों को "कूटनीतिक साझेदारी" से उन्नत कर "व्यापक कूटनीतिक साझेदारी" का स्वरूप देने का निर्णय किया।

यात्रा के परिणाम:

- भारत और वियतनाम ने अपने कूटनीतिक संबंधों में मजबूत वृद्धि का संकेत देते हुए रक्षा, सूचना-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान एवं व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने इत्यादि को समाविष्ट करने वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए ।
- **रक्षा समझौते:** उभरती क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत एवं वियतनाम दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को उन्नत कर व्यापक कूटनीतिक साझेदारी का स्वरूप दिए जाने के साथ, भारत ने इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश के साथ गहरे रक्षा सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया।
- भारत ने इससे पूर्व 2013 में वियतनाम को रक्षा हार्डवेयर खरीदने के लिए 100 करोड़ डॉलर की पेशकश की थी। हालांकि दोनों देश **ब्रह्मोस मिसाइलों** (भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित) की बिक्री के संबंध में बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इस नवीनतम यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

व्यापार और निवेश

- दोनों देशों के बीच लगभग 8 अरब डालर का द्विपक्षीय व्यापार है; पिछले छह-सात वर्षों में यह 400 प्रतिशत बढ़ गया है। दोनों पक्ष 2020 तक 15 अरब अमेरिकी डॉलर का एक नया व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सहमत हुए हैं।
- भारत वियतनाम में 93 परियोजनाओं का संचालन कर रहा है जिसमें इसने कुल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
- वियतनाम 23.6 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल निवेश के साथ भारत में तीन निवेश परियोजनाओं को संचालित कर रहा है।

दक्षिण चीन सागर विवाद

- भारत और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे के "शांतिपूर्ण" समाधान एवं इस मुद्दे पर "आत्मसंयम बनाये रखने" का आह्वान किया।
- उन्होंने सभी पक्षों से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के प्रति "अधिकतम सम्मान" प्रदर्शित करने का भी आग्रह किया।

VISION IAS

भारत के लिए वियतनाम का महत्व

- वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण तत्व है। इस नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों को फिर से मज़बूत करना है।
- कनेक्टिविटी: भविष्य में, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पहले से विद्यमान सड़क मार्गों जैसे थाईलैंड को दा नांग के वियतनामी बंदरगाह के साथ जोड़ने वाला मार्ग, के साथ जुड़ सकता है।
- वर्ष 2015-2018 के लिए भारत-आसियान संबंधों का समन्वयक देश होने के नाते, आसियान में भारत की संलग्नता के लिए वियतनाम एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है।
- कूटनीतिक स्थिति: वियतनाम कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है एवं उत्तर दिशा से दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रवेश करने के लिए "द्वार" के रूप में कार्य करता है।
- वियतनाम के साथ भारत के संबंध, बढती आर्थिक और वाणिज्यिक संलग्नता के माध्यम से चिह्नित हैं। भारत अब वियतनाम के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में है।
- भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है एवं वियतनाम के पास हाइड्रोकार्बन का समृद्ध भंडार है, उदाहरणार्थ भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को 2006 में दो अन्वेषण ब्लॉक (ब्लॉक 127 और ब्लाक 128) दिए गए थे।

वियतनाम के लिए भारत का महत्व

- भारत, इस क्षेत्र में किसी एक देश के प्रभुत्व के विरुद्ध एक मजबूत चारदीवारी का कार्य कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ हनोई का लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, जिसकी स्थिति समय के साथ और भी अधिक खराब होती गयी है।
- भारतीय कंपनियां, वियतनामी बाजार को इसके पूर्वी एशियाई समकक्षों के स्तर पर लाने के लिए, इसमें अत्यधिक वांछित पूंजी और प्रौद्योगिकी का निवेश कर सकती हैं।
- अपने जन्म स्थान भारत से बौद्ध धर्म के वियतनाम में प्रसारित होने के कारण, इस संबंध का एक मजबूत सांस्कृतिक पहलू है। वियतनाम में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है एवं उनमें से कई भारत में स्थित बौद्ध धर्म के पवित्र धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के लिए आते हैं।
- आध्यात्मिकता ने भारत-वियतनाम संबंधों को एक नवीन एवं रोचक आयाम दिया है। वियतनाम में, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के साथ, यह देश बौद्ध धर्म के जन्म स्थान भारत के साथ गहरी आत्मीयता का साक्षी रहा है।

VISION IAS

3. पश्चिम एशिया

(WEST ASIA)

3.1. भारत-मिस्र

(India-Egypt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के परिणाम:

राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग

- एक **"मजबूत रक्षा और सुरक्षा भागीदारी"** की घोषणा की गयी। यह घोषणा वर्ष 2006 में आरंभ किये गए संयुक्त रक्षा सहयोग को और ऊर्जा प्रदान करेगी। इसकी अब तक छह बैठकें हो चुकी हैं।
- दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भारत और मिस्र की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। दोनों राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत सेना और पुलिस योगदान देने वाले दस सबसे बड़े राष्ट्रों में गिने जाते हैं।
- **आंतकवाद के विरुद्ध लड़ाई** को भारत और मिस्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिह्नित किया गया क्योंकि दोनों ही राष्ट्र इस्लामिक स्टेट (IS) के बढ़ते खतरे से चिंतित हैं।
- दोनों नेताओं ने **संयुक्त राष्ट्र** में जनरल असेंबली के पुनरोद्धार **सहित व्यापक सुधार** के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की क्योंकि केवल यही एक मात्र सार्वभौमिक संस्था है जो सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती है।
- दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की दृढ़ता से निंदा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (कॉम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म: CCIT) को समाप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र में साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प की पुन: पुष्टि की।
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की चुनौतियों से निपटने के लिए, दोनों नेताओं के सिद्धांतों और विशेष रूप से इक्विटी के सिद्धांतों में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और उसके पेरिस समझौते के प्रावधानों के आधार पर एक वैश्विक दृष्टिकोण तथा CBDR के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- दोनों नेताओं ने विकासशील देशों को विकसित राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी पर बल दिया। पर्याप्त, पूर्वानुमेय (predicatable) और कार्यान्वयन के संधारणीय साधन (विशेष रूप से **वित्त, तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण**) का प्रावधान विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहमत प्रतिबद्धताओं की आधारशिला है।

व्यापार और निवेश

- भारत और मिस्र ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने का संकल्प लिया है। दोनों देशों के बीच के व्यापार को वर्तमान के 3 अरब डॉलर से निकट भविष्य में 8 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मिस्र में वर्तमान में 52 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें से 25 कंपनियां कुल 3 अरब डॉलर के निवेश के साथ विभिन्न क्षेत्रकों में संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य कर रही हैं।
- लगभग 89 लाख उपभोक्ताओं के साथ 286 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला मिस्र अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार मिस्र में एक आर्थिक भागीदार बनने की जबरदस्त क्षमता है।
- राष्ट्रपति अल-सीसी ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय भागीदारी को आमंत्रित किया है, विशेष रूप से पेट्रो-रसायन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और IT जैसे क्षेत्रों में।

समुद्री परिवहन पर करार

- भारत और मिस्र ने समुद्री परिवहन से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से न केवल समुद्री वाणिज्य के मामले में बल्कि नौसेना के जहाजों के समुद्र मार्ग में सहयोग को आगे बढ़ाने के मामले में भी दोनों देशों को मदद मिलेगी।

VISION IAS

सांस्कृतिक आदान-प्रदान

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान हमारे उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
- दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि एक विशेष , 'इंडिया बाई द नील फेस्टिवल" (**"India by the Nile Festival"**) नामक आयोजन भारत की आजादी की 70 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2017 में किया जाएगा। उन्होंने 2017 में "इजिप्ट बाई द गंगा फेस्टिवल" (**"Egypt by the Ganga Festival"**) के उद्घाटन के प्रस्ताव का स्वागत किया।

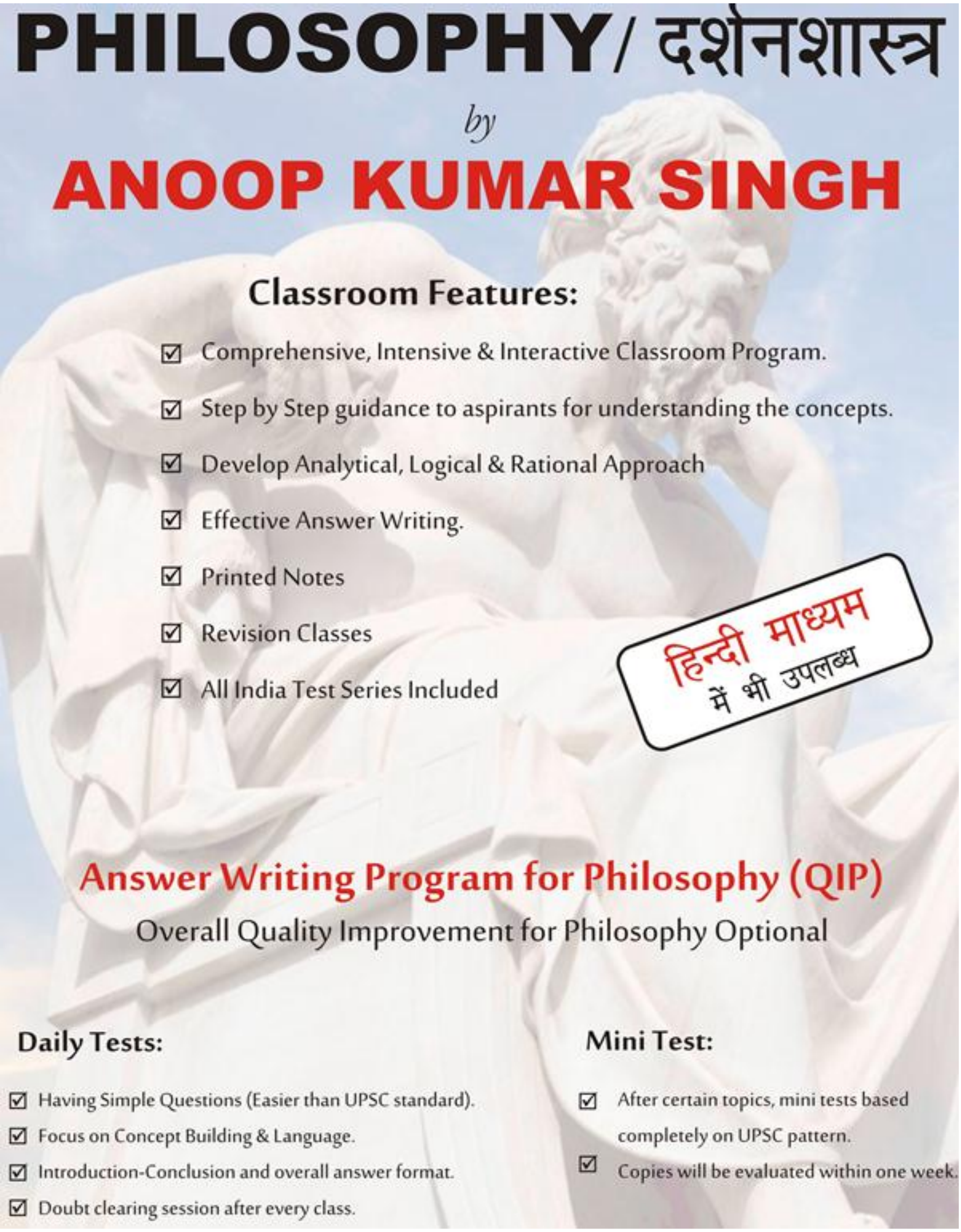

4. भारत-रूस

(INDIA-RUSSIA)

4.1. भारत-रूस संबंध

(India-Russia relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रूसी राष्ट्रपति ने भारत और रूस के बीच 17वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए भारत का दौरा किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" पर बल देते हुए कहा कि "दो नए दोस्तों से बेहतर एक पुराना दोस्त है।"

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

- **सीमा पार आतंकवाद** की स्पष्ट निंदा की गई और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध सीमा पार गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 'सूचना सुरक्षा' पर एक समझौता हुआ।
- **रक्षा क्षेत्र-** रूस के सबसे उन्नत S-400 'Triumf' मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली को खरीदने, कामोव-226T यूटिलिटी हेलीकाप्टरों का निर्माण करने और चार Krivak या तलवार वर्ग स्टील्थ के लिए समझौता हुआ।
- **क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार:** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर: INSTC) के कार्यान्वयन पर बल दिया गया।
- **बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी:** रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (RDIF), भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIIF) के तहत एक उप फंड में निवेश करेगा।
- **परमाणु विद्युत परियोजना:** मोदी और पुतिन दोनों ने संयुक्त रूप से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई (यूनिट 5 और 6) के परिचालन की घोषणा की।
- **रूस का भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-** रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट और यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स ने 10.9 बिलियन डॉलर में एस्सार एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड की रिफाइनिंग और खुदरा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह भारत में रूस का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

4.2. रूस-पाकिस्तान

(Russia-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस-पाकिस्तान ने पाकिस्तान में **'Friendship—2016'** के नाम से अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। यह दो पूर्व शीत-युद्ध प्रतिद्वंद्वियों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को प्रतिदर्शित करता है।

भारत की चिंतायें:

- संयुक्त सैन्य अभ्यास ऐसे समय में आयोजित हुआ जब भारत, उरी हमले के बाद पाकिस्तान को अलग-थलग करने, कश्मीर के भीतर नए सिरे से आरम्भ हुई राजनीतिक हिंसा का सामना करने एवं गिलगिट-बाल्टिस्तान पर भारत के दावे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था।
- इस महत्वपूर्ण संकटकालीन दौर में भारतीय संवेदनशीलता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए रूस द्वारा अभ्यासों को स्थगित करने हेतु अनिच्छुक होने से यह पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के प्रति मास्को के दृष्टिकोण में निश्चित रूप से कोई मौलिक विचार कार्य कर रहा है।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास को सेना से सेना के बीच बढ़ते सहयोग की दिशा में एक ओर कदम के रूप में देखा गया है, यह इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध में निरंतर वृद्धि का संकेत देता है।
- 2014 में रूसी-पाकिस्तानी पुनर्जागरण आरम्भ हुआ जब क्रेमलिन ने इस्लामाबाद के विरुद्ध आयुध व्यापार पर लगायी अपनी रोक को हटा दिया।

VISION IAS

- 2015 में मास्को, पाकिस्तान के लिए चार Mi-35M हेलिकॉप्टरों को बेचने हेतु सहमत हो गया और उसने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सम्मिलित होने के लिए इस्लामाबाद का स्वागत किया।

रूस की रणनीति में परिवर्तन:

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दृढ़ता प्रदर्शित की है।

- इसने पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप एवं इराक तथा लीबिया एवं अब सीरिया में सैन्यवादी सत्ता-परिवर्तन नीतियों का विरोध करने के संबंध में स्पष्ट स्थिति ग्रहण कर ली है।
- रूस ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थन करने हेतु इस्लामी राज्य के विरुद्ध संघर्ष में प्रतिबल का प्रयोग किया है।
- इसने 1950 में (सोवियत संघ संबंधी) ऐतिहासिक कारणों से यूक्रेन को अपने द्वारा भेंट किए क्रीमिया प्रांत को वापस ले लिया। यह कदम रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से एकपक्षीय प्रतिबंध लगाए जाने का कारण बना।
- पश्चिमी देशों द्वारा गलत ठहराए जाने पर रुस चीन का रणनीतिक भागीदार बन गया है और उनके हित आपस में काफी मेल खाते हैं।
- आयुधों और ऊर्जा के निर्यात पर निर्भर रूस निरंतर नए बाजारों की खोज कर रहा है एवं पाकिस्तान एक ऐसा ही संभावित बाजार है। ये पूर्व योजनाबद्ध अभ्यास इस खोज का विस्तार थे।

भारत की नीति में परिवर्तन:

उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। भारतीय युद्ध-सामग्री नीतियों में कुछ **वास्तविक एवं प्रत्यक्ष परिवर्तन** हुए हैं, जिनमें कई वर्षों तक रूस को प्रधानता दी जाती रही है।

- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जिनमें से सभी किसी न किसी क्षेत्र में रूस को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्रेमलिन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग से सतर्क हुआ है।
- दोनों राष्ट्रों से प्रोत्साहन दिए जाने के बाद भी भारत-रूस व्यापार में अत्यधिक उच्चस्तरीय बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी तक रूस के दृष्टिकोणों के प्रति भारत का समर्थनकारी रूख रहा है एवं रूस की सभी कार्रवाईयों के प्रति भारत द्वारा सावधानीपूर्ण और जांच-परख कर अनुक्रिया की गयी है। चेचन्या, सीरिया, यूक्रेन और अन्यत्र भारत ने रूस का समर्थन किया है । रूस ने अपनी ओर से कश्मीर पर भारत के दृष्टिकोण का निष्ठापूर्वक समर्थन किया है।
- सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय निजी क्षेत्र को **सम्मिलित करने वाले आर्थिक संबंधों** की कमी है। भारत की विषम रक्षा खरीद एवं साइबेरियाई तेल या गैस क्षेत्र की इक्विटी में हिस्सेदारी, रणनीतिक संबंध का आधार होने के स्थान पर उसके विकल्प हैं।
- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी ओर से सैन्य अभ्यास करता है एवं ऐसे लॉजिस्टिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय नौसैनिक अड्डों की उपलब्धता प्रदान की जा सकती है।

आगे की राह:

- सैन्य अभ्यास भारत-रूस संबंधों को अधिक प्रभावित नहीं कर सकता है किन्तु सुनिश्चित रूप से इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि भारत रूस की गतिविधियों को अनदेखा नहीं कर सकता। रूस के साथ अपने संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, भारत को अपनी क्षमताओं एवं रूस के साथ अपने साझा हितों को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है।
- रूस निकट भविष्य में शीघ्र ही पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी नहीं बनेगा एवं भारत के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहेगा। फिर भी, क्रेमलिन का यह कदम मोदी प्रशासन को प्रखर संदेश देता है। वस्तुत: नई दिल्ली, मास्को की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करती है, किन्तु यह भी समझती है कि पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग के समानुपात में, रूस-पाकिस्तान साझेदारी निरंतर विकसित होती रहेगी।

VISION IAS

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ

(IMPORTANT INTERNATIONAL EVENTS)

5.1. ब्राजील में सत्ता परिवर्तन

(Regime Change in Brazil)

ब्राजील की डिल्मा राउसेफ को सीनेट में महाभियोग मतदान द्वारा देश के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। इस प्रकार लेटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वामपंथियों का शासन समाप्त हो गया।

राउसेफ पर लगाए गए महाभियोग के कारण:

- पिछले वर्ष के दौरान गहरे आर्थिक संकट एवं बढ़ते **भ्रष्टाचार के मामलों** के कारण सुश्री राउसेफ की लोकप्रियता धीरे-धीरे कम हो गयी थी। इन भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी वर्कर्स पार्टी के अनेक नेताओं पर आरोप लगाए गए।
- उनके द्वारा अपनाए गए कुछ उपाय जैसे कि **घाटे को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी करना** इत्यादि प्रति-उत्पादक थे क्योंकि इन उपायों ने वर्कर्स पार्टी (PT) के पारंपरिक आधार अर्थात कामकाजी लोगों को उनसे दूर कर दिया।

आर्थिक संकट:

- ब्राजील की जिंस वस्तुओं जैसे तेल, लौह अयस्क और सोया के मूल्यों में गिरावट के कारण ब्राजील की अर्थव्यवस्था तीन दशकों से अधिक समय से अपनी सर्वाधिक मंदी के दौर से गुजर रही है।
- 2015 में, अर्थव्यवस्था 1981 से अब तक का अपना सर्वाधिक बुरा वार्षिक प्रदर्शन करते हुए 3.8% तक संकुचित हो गयी।
- पिछले वर्ष के अंत में, मुद्रास्फीति की दर 10.7% तक पहुँच गयी, जो 12-वर्ष की अवधि में सर्वोच्च थी।
- 2015 में बेरोजगारी में 9% वृद्धि हुई एवं अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह दहाई के आंकड़ों में आ सकती है।

महाभियोग का प्रभाव:

- ऐसे समय में जबकि देश को विशेष रूप से वर्तमान आर्थिक संकट एवं अत्यधिक भ्रष्टाचार जैसी भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थिर प्रशासन की आवश्यकता है, इस महाभियोग से **ब्राजील का राजनीतिक संकट** और अधिक गहरा होने की संभावना है।
- वैश्विक राजनीति पर ब्राजील के राजनीतिक संकट का हानिकारक प्रभाव पड़ा है क्योंकि विश्व को इस क्षेत्र के सबसे बड़े देश के योगदान की आवश्यकता है।
- भौगोलिक और राजनीतिक रूप से, ब्राजील को ऐसी धुरी बनने की आवश्यकता है जिसके चारों ओर इसके मुख्य रूप से स्पेनिश बोलने वाले पड़ोसी आकर्षित हो सकें और अपनी नीतियों का समन्वयन करें।
- रूस, चीन और भारत ने हाल के वर्षों में ब्राजील के साथ अपने राजनीतिक-आर्थिक द्विपक्षीय संबंधों को काफी मजबूत किया है तथा इस घटना के बाद भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सशंकित होंगे।
- पहले दक्षिण अफ्रीका और अब ब्राजील में नेतृत्व संकट के कारण BRICS, IBSA और BASIC की प्रभावकारिता संदिग्ध हो गयी है।

5.2. प्रवासी और शरणार्थी

(Migrants and Refugees)

5.2.1. प्रवासियों और शरणार्थियों पर न्यूयॉर्क घोषणा

(New York Declaration on Migrants and Refugees)

घोषणा की आवश्यकता

- विश्व के समक्ष लगभग 21 मिलियन से अधिक शरणार्थियों की समस्या है, इनमें से लगभग 41 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित, 3.2 मिलियन शरण के इच्छुक हैं तथा इसके अलावा संघर्ष, दमन और निर्धनता के कारण मिश्रित प्रवासियों के प्रवाह में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।

VISION IAS

- यह चिंताजनक प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन और आपदाओं तथा संसाधनों पर उनके द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप न्यूयॉर्क घोषणा की गयी।

घोषणा का उद्देश्य

- यह घोषणा मानव जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने एवं वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी साझा करने के लिए विश्व के नेताओं की राजनैतिक इच्छाशक्ति को अभिव्यक्त करती है।
- इस घोषणा का उद्देश्य संसाधनों पर तनाव उत्पन्न करने वाले एवं अफ्रीका से यूरोप तक विभिन्न प्रभागों को ग्रसित कर चुके शरणार्थी संकट को, बेहतर रूप से समन्वित करना एवं मानवीय प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

शरणार्थी

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार शरणार्थी, सशस्त्र संघर्ष या उत्पीड़न के कारण पलायन हेतु विवश हुए लोग हैं, जबकि प्रवासी एक बेहतर जीवन की खोज में स्थानांतरण के विकल्प का चुनाव करते हैं।
- वर्तमान में विश्व भर में लगभग 21.3 मिलियन शरणार्थी, 3.2 मिलियन शरण के इच्छुक एवं 40.8 मिलियन प्रवासी हैं।

इसकी प्रतिबद्धतायें क्या हैं?

न्यूयॉर्क घोषणा, वर्तमान में हमारे सम्मुख व्याप्त समस्याओं का समाधान करने और विश्व को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु ठोस प्रतिबद्धताएँ व्यक्त करती है। इसमें निम्नलिखित प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं:

- सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी शरणार्थियों और प्रवासियों के **मानव अधिकारों** का संरक्षण। इसमें महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों एवं समाधान खोजने में उनकी पूर्ण, बराबर एवं सार्थक भागीदारी सम्मिलित है।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी शरणार्थी और प्रवासी बच्चे आने के कुछ ही महीनों के भीतर **शिक्षा प्राप्त करने लगें**।
- यौन हिंसा एवं **लिंग-आधारित हिंसा** की रोकथाम करना एवं उसके प्रति अनुक्रिया करना।
- शरणार्थियों एवं प्रवासियों की बड़ी संख्या का बचाव करने वाले, शरण देने वाले एवं मेजबानी करने वाले देशों को सहयोग-समर्थन प्रदान करना।
- बच्चों को उनकी प्रवासी स्थिति निर्धारित करने हेतु निरूद्ध करने (Detain) के व्यवहार को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना।
- **शरणार्थियों** एवं प्रवासियों **के विरुद्ध विद्वेष** की दृढ़तापूर्वक निंदा करना एवं इसका प्रतिरोध करने के लिए विश्वव्यापी अभियान का समर्थन करना।
- अपने मेजबान देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रवासियों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदानों के महत्व को दृढ़तापूर्वक पुष्ट करना।
- नवोन्मेषी बहुपक्षीय वित्तीय समाधानों के माध्यमों सहित सभी प्रकार के वित्तपोषण अंतरों को समाप्त करने के उद्देश्य से सर्वाधिक प्रभावित देशों को मानवीय एवं विकास सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार करना।
- जब भी शरणार्थियों का विशाल प्रवाह उत्पन्न हो या दीर्घकालिक शरणार्थियों की स्थिति उत्पन्न हो तो सदस्य राज्यों, नागरिक समाज भागीदारों एवं संयुक्त राष्ट्र तंत्र की जिम्मेदारी को निर्धारित करने वाले नए ढांचे के आधार पर शरणार्थियों के प्रति व्यापक अनुक्रिया को कार्यान्वित करना।
- "शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त" (UNHCR) द्वारा पुनर्वास की आवश्यकता रखने वाले शरणार्थियों के रूप में पहचाने गए सभी शरणार्थियों हेतु नए घरों की खोज करना एवं शरणार्थियों के लिए अन्य देशों में स्थानांतरित होने हेतु श्रम गतिशीलता और शिक्षा योजनाओं जैसे अवसरों का विस्तार करना।
- प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन को संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में समाविष्ट कर प्रवासन के वैश्विक शासन को मजबूत बनाना।
- **कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं:** यह घोषणा कोई ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करती एवं यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है बल्कि शरणार्थियों के मानव अधिकारों का संरक्षण करने, मानवीय सहायता एवं शरणार्थियों के पुनर्वास में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए देशों का आह्वान करती है।

VISION IAS

5.2.2. शरणार्थियों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

(UNICEF Report on Refugees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिसेफ ने 7 सितंबर 2016 को एक रिपोर्ट "अपरूटेड: द ग्रोइंग क्राइसिस फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट चिल्ड्रन" नाम से जारी की।

मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में करीब 50 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं या उनको पलायन करना पड़ा है तथा लाखों की संख्या में बच्चे एक बेहतर और सुरक्षित जीवन पाने की आशा में पलायन कर रहे हैं।
- वे संघर्ष और हिंसा के सदमे में पलायन कर रहे हैं, उन्हें आगे जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा वह निम्नलिखित हैं:

✓ समुद्र पार करने के दौरान डूबने का खतरा,

✓ कुपोषण,

✓ तस्करी,

✓ बलात्कार और हत्या ।

- अपनी यात्रा के दौरान वे जिन देशों से गुज़रते हैं, वहां एवं उनके गंतव्यों पर भी उन्हें प्रायः विद्वेष और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- दुनिया में प्रत्येक 200 बच्चों में से 1 एक बच्चा शरणार्थी है।
- अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे 3 बच्चों में से लगभग 1 बच्चा शरणार्थी है।
- 2005 से 2015 तक बाल शरणार्थियों में दुगुनी वृद्धि हुई है।
- **क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य:**

✓ विश्व के 5 बाल प्रवासियों में से 2 एशिया में रहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल

- 'बाल अधिकारों का अभिसमय' (कन्वेंशन ऑफ़ द राइट ऑफ़ द चाइल्ड), **1989**
- कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ़ रिफ्यूजी (1951) एंड प्रोटोकॉल (1967)
- भूमि, समुद्र और वायु के रास्ते प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल (2000)
- सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1990) ।

कई देशों द्वारा अब तक इनकी पुष्टि करना शेष है। उनकी पुष्टि शरणार्थियों की सुरक्षा को मजबूत करेगी।

शरणार्थी और प्रवासी बच्चों की रक्षा के लिए छह विशिष्ट कार्रवाइयां

- बाल शरणार्थियों और प्रवासियों, विशेष रूप से अकेले बच्चों की शोषण और हिंसा से रक्षा करना।
- व्यावहारिक विकल्पों की एक श्रृंखला के माध्यम से शरणार्थी या प्रवासी का दर्जा चाहने वाले बच्चों का निरोध (detention) समाप्त करना।
- बच्चों की रक्षा और उन्हें कानूनी दर्जा देने के लिए सबसे अच्छा तरीका परिवारों को साथ रखना है।
- सभी शरणार्थी और प्रवासी बच्चों के लिए सीखने और स्वास्थ्य तथा अन्य उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना।
- शरणार्थियों और विस्थापितों के रूप में व्यापक पलायन के मूल कारणों पर कार्रवाई के लिए दबाव डालना।
- विदेशी लोगों को न पसंद करने की भावना(xenophobia), भेदभाव और उपेक्षा से निपटने हेतु उपायों को बढ़ावा देना।

VISION IAS

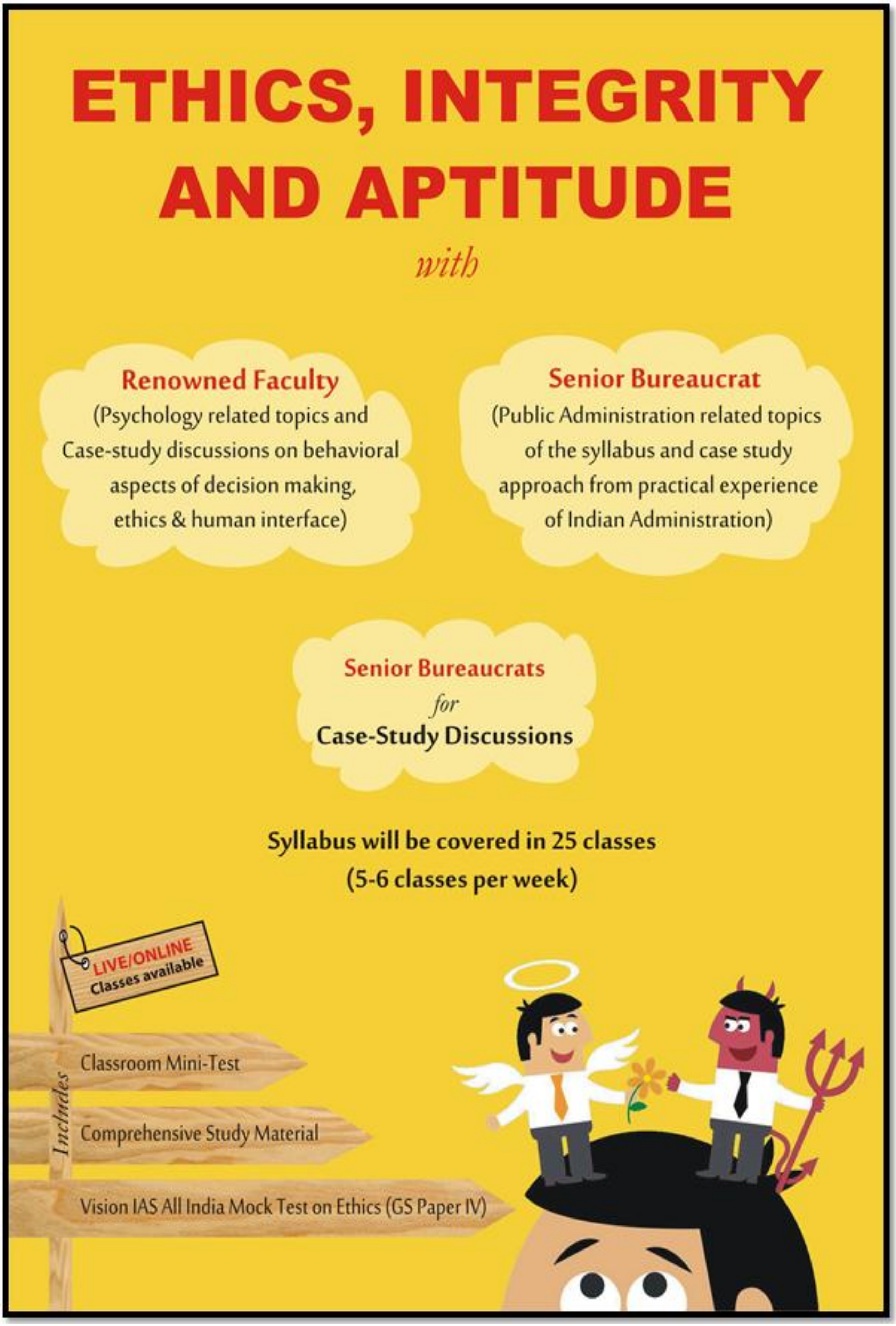
ETHICS, INTEGRITY AND APTITUDE
with
Renowned Faculty
(Psychology related topics and Case-study discussions on behavioral aspects of decision making, ethics & human interface)
Senior Bureaucrat
(Public Administration related topics of the syllabus and case study approach from practical experience of Indian Administration)
Senior Bureaucrats
for
Case-Study Discussions
Syllabus will be covered in 25 classes
(5-6 classes per week)
LIVE/ONLINE
Classes available
Includes
Classroom Mini-Test
Comprehensive Study Material
Vision IAS All India Mock Test on Ethics (GS Paper IV)

6. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह और शिखर सम्मेलन

(IMPORTANT INTERNATIONAL/ REGIONAL GROUPS AND SUMMITS)

6.1. G-20 शिखर सम्मेलन

(G-20 Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

11वाँ G20 शिखर सम्मेलन हांग्जो, चीन में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु "नवोन्मेषी, नवीन ऊर्जा से सराबोर, अंतर्संबंधित एवं समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था" की स्थापना करना था।

G-20 शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषतायें

- G-20 अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने **भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालित करने हेतु आम सहमति सहित** विभिन्न विकास मुद्दों पर पर्याप्त सफलतायें प्राप्त की हैं एवं फरार अपराधियों के प्रत्यावर्तन तथा साथ ही परिसंपत्ति वसूली के संबंध में चीन में एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है।
- संधारणीय विकास
- इस शिखर सम्मेलन में पहली बार **वैश्विक समष्टि नीति ढांचे के विकास मोर्चे एवं केन्द्र** के मुद्दे को रखा गया, **संधारणीय विकास के लिए 2030 एजेंडे** का कार्यान्वयन सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य योजना निर्मित की एवं सामूहिक रूप से अफ्रीकी देशों एवं न्यूनतम विकसित देशों के औद्योगिकीकरण का **समर्थन** किया गया।
- हांग्जो आम सहमति
- **"हांग्जो आम सहमति"** G20 देशों को **समन्वित समष्टि आर्थिक नीति, खुले व्यापार और नवोन्मेष** के माध्यम से अधिक समावेशी आर्थिक विकास प्रदान करने का आह्वान करती है। संक्षेप में, यह वैश्वीकरण को सभी के लाभ के लिए कार्य करने हेतु सक्षम करने के अपने मूल अधिदेश की पुष्टि करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय कर-परिहार
- G-20 के कई सदस्यों द्वारा **अंतर्राष्ट्रीय कर-परिहार** के विरुद्ध प्रवर्तन को मजबूत करना **एवं आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण(Base Erosion and Profit Shifting) पर सहयोग को आगे बढ़ाना** जैसे अनेक कम महत्वपूर्ण उद्देश्यों को साझा किया गया।
- जलवायु परिवर्तन
- अमेरिका और चीन के दबाव के बावजूद , **जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की पुष्टि करने के लिए सदस्य-देशों के लिए दिसंबर 2016 की समय सीमा** का अंतिम G-20 विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- इसने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी समाप्त करने हेतु तिथि विशेष का निर्धारण भी टाल दिया गया है।
- चीन में सीमा से अधिक इस्पात क्षमता का प्रश्न, शिखर सम्मेलन में उल्लेखित प्रमुख मुद्दों में से एक था। इसके कारण भारत, ब्रिटेन एवं अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सस्ते आयातों की बाढ़ सी आ जाती है।
- जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अत्यल्प वास्तविक प्रगति हुई थी।
- नेताओं का ध्यान आकर्षित करने वाले अन्य गौण विषयों में **सीरिया संकट, शरणार्थियों, आतंकवाद और प्रवासन इत्यादि** के लिए समन्वित अनुक्रियाओं संबंधी चुनौतियाँ **अब भी अनुत्तरित हैं।**

G-20

- G-20 का आरम्भ एशियाई वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप 1999 में वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में हुआ।
- 20 देशों का यह समूह (G-20) अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और निर्णय-निर्धारण के लिए प्रमुख फोरम है। इसमें 19 देश एवं यूरोपीय संघ सम्मिलित हैं।

VISION IAS

- G-20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 80%, विश्व की जनसंख्या के 65% का प्रतिनिधित्व करता है।
- 2008 में, G-20 नेताओं का सबसे पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट से अनुक्रिया करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई।

6.2. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 17वां शिखर सम्मेलन

(17th Summit of the Non Aligned Movement [NAM])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) का 17वां शिखर सम्मेलन वेनेज़ुएला के मार्गरिटा में संपन्न हुआ।
- भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति ने किया, न कि हमेशा की तरह सरकार के प्रमुख (प्रधानमंत्री) ने।
- इससे पूर्व केवल एक बार NAM शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया था। तब प्रधानमंत्री चरण सिंह की कार्यवाहक सरकार थी और सम्मेलन 1979 में हवाना (क्यूबा) में संपन्न हुआ था।

गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM)

- सितंबर 1961 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में NAM में 120 सदस्य राष्ट्र एवं 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नूरुमाह और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप बरोज़ टिटो द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- पहला NAM शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था।
- गुटनिरपेक्ष नीति और विचारधारा -

✓ एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देना

✓ हथियारों की होड़, जिसके कारण सम्पूर्ण पृथ्वी पर परमाणु विनाश का भय व्याप्त है ,के विरुद्ध अभियान करना।

✓ समृद्ध पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व वाले विश्व में पूर्व उपनिवेशों तथा निर्धन राष्ट्रों की एक आवाज़ के तौर पर भी इस आन्दोलन की कल्पना की गयी थी।

शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति के संबोधन के मुख्य अंश

आतंकवाद-विरोधी दबाव:

- भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए "ठोस कदम" उठाने का आह्वान किया और 120 देशों के समूह को इस संकट से निपटने हेतु प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने की बात रखी।
- उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को "आज मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे प्रबल स्रोतों" में से एक बताया और राज्य नीति के एक साधन के रूप में इसके उपयोग की भर्त्सना की।

UN सुधार:

- उपराष्ट्रपति ने दृढ़तापूर्वक UN सुधार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने आगामी 71वें UNGA के मंच के प्रयोग द्वारा अंतर-सरकारी वार्ता में बातचीत आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
- इस बात का उल्लेख करते हुए कि भले ही 1961 में NAM के गठन के समय से अब तक वैश्विक परिदृश्य काफी बदल चुका है, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि वे आदर्श और सिद्धांत जिन पर आन्दोलन की नींव टिकी है, जैसे

✓ "विवादों का शांतिपूर्ण निपटान" और "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" -- ये सब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले शिखर सम्मेलन के समय थे।

VISION IAS

सतत या संधारणीय विकास:

- उन्होंने सदस्य राष्ट्रों से पूरी प्रतिबद्धता से और सम्पूर्ण रूप में SDG को लागू करने और एजेंडा 2030 को संशोधित या विकृत करने के किसी भी प्रयास पर नजर रखने का आग्रह किया।
- उन्होंने संधारणीय विकास को NAM देशों के प्रयासों का आधार और सर्वोच्च आकांक्षा कहा।
- **शान्ति और संप्रभुता:**
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास के लिए शान्ति और संप्रभुता का होना आवश्यक है; एक शांतिपूर्ण वैश्विक वातावरण, विकास और विकासात्मक सहयोग के लिए अनिवार्य है।

शीत युद्ध के पश्चात् NAM में वैश्विक परिवर्तन

पिछले 60 वर्षों में, NAM के प्रभाव में कमी देखी गई है।

- 1980 के दशक के तीसरे वैश्विक ऋण संकट ने NAM राष्ट्रों की आर्थिक महत्वाकांक्षा को कुचलकर रख दिया।
- **एकध्रुवीय विश्व:** सोवियत संघ के पतन के बाद, अमेरिका ने पनामा और इराक पर बमबारी की और अमेरिकी प्रभुत्व के साथ इतिहास बनता दिखा।
- 1990 के दशक के आरंभिक दौर तक, NAM की कई महत्वपूर्ण शक्तियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया (अर्जेंटीना ने 1991 में समूह छोड़ दिया)। युगोस्लाविया का गृहयुद्ध के कारण विखंडन हो गया, जिससे यह अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं कर सका।
- भारत IMF के पास गया और इससे अमेरिका को इशारा मिला कि गुटनिरपेक्षता के दिन धीरे-धीरे खत्म होने लगे हैं। NAM, अपने सदस्यों के आर्थिक इंजनों को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी इरादों और प्रयासों के संदेह के बीच काफी आगे-पीछे होता रहा।
- **कोई बाध्यकारी सिद्धांत नहीं:** NAM का कोई बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है और यह असमान देशों के बीच सुविधा का एक माध्यम है। साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देने की मांग करने वाले एकजुट आन्दोलन की छवि के विपरीत, NAM के प्रयोजनों और उद्देश्यों पर संस्थापक नेताओं के बीच सहमति कभी बनी ही नहीं।
- **NAM के भीतर विभाजन:** ईरान-इराक युद्ध, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्ज़ा, कम्बोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप तथा दक्षिणी अफ्रीका और मध्य अमेरिका में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के लिए सैन्य समर्थन ने काफी हद तक NAM को विभाजित कर दिया।

NAM का महत्व/प्रासंगिकता:

- NAM, **दक्षिण -दक्षिण देशों (South-South Nations) के बीच सहयोग** को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।
- NAM विशेष रूप से **UN में चुनाव में** महत्वपूर्ण है, जिसमें सुरक्षा परिषद् (UNSC) के नए स्थायी सदस्यों का संभावित निर्धारण भी सम्मिलित है। वास्तव में, NAM के माध्यम से ही हम लोगों ने सिर्फ जर्मनी और जापान को ही स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित कर UN सुरक्षा परिषद के विस्तार के प्रयासों के विरुद्ध अभियान चलाया था।
- कोई भी NAM देश पाकिस्तान को अलग-थलग रखने पर शायद सहमत नहीं हो सकता है लेकिन NAM का मंच **हमारी आतंकवाद-विरोधी भावनाओं को सामने रखने के लिए एक प्रभावी साधन** होगा। NAM के पास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त आन्दोलन के रूप में काम करने की क्षमता है। इसलिए NAM का अंतर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और विकास की खोज में लगे विकासशील देशों के आन्दोलन के रूप में जारी रहना आवश्यक है।
- NAM, कॉमनवेल्थ की भांति ही एक ऐसी **विरासत है जिसे हमें त्यागने की आवश्कता नहीं है।**
- NAM की अतिअनौपचारिक प्रकृति इसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से काम करने की अनुमति देती है। इसमें सदस्यों के लिए अपने दृष्टिकोण को आरक्षित रखने की भी सुविधा है जैसा हम लोगों ने अप्रसार को लेकर NAM के दृष्टिकोण पर किया था।

निष्कर्ष:

तीसरे विश्व की राजनीति ने वैश्विक एजेंडे के विषयगत (thematic)विन्यास को सफलतापूर्वक प्रभावित किया है। आज उत्तर-दक्षिण सम्बन्ध और दक्षिण के देशों के विकास से जुड़े मुद्दे हमारे वैश्वीकृत विश्व की मुख्य निष्क्रिय प्रणालियों में से एक बन गए हैं, और वैश्विक चुनौतियों का संभावित जवाब तैयार करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। NAM के अस्तित्व को "पहले की भांति

VISION IAS

आवश्यक” बनाने के लिए ठोस प्रयासों और गठबंधन-निर्माण के रूप में गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमें केवल 21वीं सदी के अनुसार नई उम्मीदों और नई चुनौतियों के साथ आन्दोलन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

6.3. बिम्सटेक

(BIMSTEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, अक्टूबर 2016 में गोवा में आयोजित किया गया था। 2017 में चतुर्थ बिम्सटेक शिखर सम्मेलन हेतु इसकी अगली बैठक का आयोजन नेपाल में किया जाएगा।
- शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस, क्षेत्रीय संपर्क, आतंकवाद, इस क्षेत्र के विकास, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, व्यक्ति-व्यक्ति संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहा।
- इस संबंध में बिम्सटेक देशों द्वारा **लीडर्स रिट्रीट आउटकम डॉक्यूमेंट** जारी किया गया।

दस्तावेज़ की मुख्य विशेषताएं

- **आतंक का सामना करने के लिए:** इस सम्मेलन में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की निंदा की गयी तथा उन राज्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी जो आतंकवादियों को प्रोत्साहन, समर्थन तथा संरक्षण प्रदान करते हैं।
- **कानूनों से सहयोग :** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आपराधिक मामलों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने में सहयोग पर बिम्सटेक सम्मेलन के प्रारंभिक अनुसमर्थन की मांग की गयी।
- **पर्यावरण पर सहयोग:** पर्वतीय पारितंत्र एवं जैव-विविधता के संरक्षण की दिशा में अधिक से अधिक प्रयास करने पर करार और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सहमति दर्ज की गयी।
- **व्यक्ति-व्यक्ति संपर्क को बढ़ावा देना:** बिम्सटेक बौद्ध सर्किट और बिम्सटेक धरोहर स्थलों की स्थापना प्रस्तावित की गयी तथा बिम्सटेक सांस्कृतिक उद्योग आयोग और भूटान में बिम्सटेक सांस्कृतिक उद्योग वेधशाला की स्थापना में तेजी लाने का फैसला किया गया।
- **मत्स्य-पालन और खाद्य सुरक्षा:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मत्स्य पालन के सतत विकास में सहयोग।
- **निर्धनता की समाप्ति:** बिम्सटेक निर्धनता कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुन:पुष्टि।
- **विकास के अन्य क्षेत्रों की खोज:** मत्स्य-पालन, हायड्रोग्राफी, समुद्र-तल खनिज अन्वेषण, तटीय शिपिंग, पारिस्थितिकी पर्यटन और महासागरीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देने तथा हमारे सहयोग को मजबूत करने के तरीके तलाशने हेतु समझौता।
- **व्यापार के लिए:** बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र वार्ता के शीघ्र निष्कर्ष हेतु प्रतिबद्धता का पुनर्नवीकरण तथा उसके मूल समझौतों को अंतिम रूप देने में तेजी लाने के लिए व्यापार वार्ता समिति (TNC) और कार्य समूहों को निर्देशित किया गया।

बिम्सटेक की प्रासंगिकता

- इससे पहले भी, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, BBIN समूह के रूप में क्षेत्रीय सहयोग के एक माध्यम के रूप में उभरा था जब सार्क शिखर सम्मेलन, 2014 में दक्षिण एशियाई कनेक्टिविटी समझौतों पर हस्ताक्षर करने की पाकिस्तान की अनिच्छा के बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत ने मिलकर यह समझौता संपन्न किया था।
- अब, इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन,2016 के पतन के साथ ही बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में तब्दील हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, बंगाल की खाड़ी के पार समुद्री वाणिज्य के समृद्ध इतिहास और साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से युक्त इस क्षेत्र में बिम्सटेक और सार्क (पाकिस्तान के अतिरिक्त) के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

VISION IAS

बिम्सटेक के बारे में

बिम्सटेक क्या है?

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)) एक क्षेत्रीय संगठन है।
- यह बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया।
- यह बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसन्न क्षेत्रों में अवस्थित सात सदस्य राज्यों से मिलकर बना है।
- इनमें दक्षिण एशिया के पांच देश -बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।
- बिम्सटेक एक क्षेत्रक आधारित सहकारी संगठन है।

6.4. ब्रिक्स

(BRICS)

6.4.1 ब्रिक्स का आठवां शिखर सम्मेलन

(Eighth BRICS Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, गोवा में आयोजित किया गया। इसका विषय "उत्तरदायी समावेशी और सामूहिक समाधान का निर्माण" था।
- शिखर सम्मेलन गोवा घोषणा की स्वीकृति के साथ संपन्न हुआ। नौवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 में चीन द्वारा आयोजित किया जाएगा।

गोवा घोषणा की मुख्य विशेषताएं

- **वैश्विक सुरक्षा पर-** इसमें आतंकवाद के सभी रूपों की दृढ़ता से निंदा कर संयुक्त राष्ट्र आतंकरोधी ढांचे के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की गई। इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय [काम्प्रिहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT)] को स्वीकारने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

- **SDGs पर-** सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए 2030 एजेंडा को अपनाने का स्वागत किया गया।
- **संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर-** अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को दोहराया गया।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक पर-** ब्रिक्स के सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा विशेष रूप से ब्रिक्स देशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में ऋण के पहले बैच के अनुमोदन से संतुष्ट थे

ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था

- 2015 में ब्रिक्स के सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था अब कार्य कर रही है और इस समूह के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक लेनदेन संपन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
- यह वास्तविक अथवा संभावित अल्पकालीन भुगतान संतुलन के दबावों का तरलता और एहतियाती उपकरणों के माध्यम से सामना करने हेतु निर्धारित रूपरेखा है।

 ©Vision IAS

ब्रिक्स के बारे में

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला नाम है। इसमें शामिल हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
- यह 2009 में स्थापित किया गया था तथा 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले मूल रूप से ब्रिक (BRIC) के रूप में जाना जाता था।
- पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था।
- वे अपनी बड़ी और, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण विशिष्ट हैं।

6.4.2. ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी

(BRICS Rating Agency)

मुख्य तथ्य

- ब्रिक्स देशों ने वैश्विक शासन संरचना को मजबूत बनाने के लिए बाजार अभिविन्यस्त सिद्धांतों (market oriented principles) पर आधारित एक स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी स्थापित करने के लिए सहमति जताई है।
- ब्रिक्स संस्था-निर्माण, वैश्विक वित्तीय ढांचे को निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित ढांचे में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ब्रिक्स देशों ने पहले ही सदस्यों की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की है, जिसका परिचालन पिछले वर्ष आरम्भ हुआ।
- इस बात की आशंका जताई जाती है कि तीन बड़ी वैश्विक एजेंसियां- S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स और मूडीज़ इनवेस्टर सर्विस- विकासशील देशों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं, जैसा कि उनके द्वारा की गई इन अर्थव्यवस्थाओं की खराब रेटिंग से परिलक्षित होता है।
- गहन पूँजी बफ़र्स होने के बावजूद ब्रिक्स प्रवर्तित NDB जैसे बहुपक्षीय बैंकों की रेटिंग संरक्षक देशों की संप्रभु रेटिंग के कारण प्रभावित हो रही है।
- इसके अलावा, रेटिंग एजेंसियों के वर्तमान मूल्य निर्धारण मॉडल के तहत, बांड जारी करने वाली कंपनी या संस्था रेटिंग एजेंसी को स्वयं की रेटिंग करवाने के लिए भुगतान करती है: इसे जारीकर्ता भुगतान मॉडल (issuer-pay model) के नाम से जाना जाता है। यह रेटिंग के इस मॉडल में निहित नैतिक खतरे (moral hazard) का एक नैतिक (ethical) मुद्दा है।

6.4.3 एक्जिम बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

(MOU between EXIM Bank, New Development Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) और ब्रिक्स प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुसार सहयोग के एक ढांचे को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त MoU का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच कौशल स्थानान्तरण और ज्ञान को साझा करना है।

समझौता ज्ञापन के लाभ

- इससे ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
- यह सतत विकास एवं समावेशी आर्थिक विकास हेतु सहयोग के लिए रणनीतिक रूप से प्रासंगिक है।
- इससे भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी।

VISION IAS

6.5. परमाणु निरस्त्रीकरण

(Nuclear Disarmament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस) ने प्रशांत महासागर द्वीप राष्ट्र, मार्शल द्वीपसमूह द्वारा ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ दायर परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले को खारिज कर दिया।

मामला ख़ारिज होने के कारण

मार्शल द्वीप यह साबित करने में असफल रहा है कि इसके और तीन परमाणु शक्तियों के बीच निरस्त्रीकरण को लेकर कानूनी विवाद है। अदालत ने यह कहकर इसे ख़ारिज कर दिया कि यह मामला उसके न्याय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में तर्क

- यह एक सामरिक बहाना (strategic excuse) है। अधिकतर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों का दावा है कि वे सामरिक रक्षा के लिए इन पर निर्भर होते हैं और वे इन विनाशकारी हथियारों के बिना विभिन्न हमलों के लिए भेद्य हैं, जो वस्तुतः बहुध्रुवीय विश्व में सत्य नहीं है।
- आर्थिक: परमाणु हथियार कार्यक्रम में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आपदा राहत और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के हिस्से के सार्वजानिक धन का उपयोग किया जाता है। अतः अब मानवीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में धन को पुनः प्रेषित करने का समय आ गया है।
- पर्यावरणीय: परमाणु हथियार अभी तक बनाया गया एकमात्र उपकरण हैं जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जटिल जीवन रूपों को नष्ट करने की क्षमता है।
- सुरक्षा चिंताएँ: परमाणु हथियार से हर जगह लोगों के लिए एक प्रत्यक्ष और निरंतर खतरा है। शांति बनाये रखने के अलावा, यह राष्ट्रों के बीच भय और अविश्वास को जन्म देता है।
- मानवीय मुद्दे: परमाणु हथियारों का उन्मूलन एक तत्काल मानवीय आवश्यकता है। परमाणु हथियारों के किसी भी प्रकार के उपयोग का परिणाम भयावह होगा।
- परमाणु आतंकवाद- इसका एक प्रमुख खतरा यह है कि पाकिस्तान या रूस जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में परमाणु हथियार दुष्ट आतंकवादी तत्वों के हाथों में जा सकता है।

परमाणु हथियारों से संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, पूरे विश्व में 16,400 परमाणु हथियार हैं।
- पांच देशों- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को अप्रसार संधि के तहत परमाणु हथियार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।
- कई अन्य देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, इजरायल, इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया और कोरिया पर परमाणु हथियार विकसित करने का संदेह किया गया है।
- आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल केवल एक बार 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख

भारत परमाणु निरस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और यह सह-प्रायोजकों के साथ काफी हताशा महसूस करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

आगे की राह

- परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु हथियारों वाले देशों में निरस्त्रीकरण के लिए नैतिक दबाव पैदा करेगा और परमाणु हथियार के विकास, अधिग्रहण और उपयोग के निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।
- परमाणु हथियार वाले देशों को विश्व में बेहतर नीति निर्माण के लिए वार्ता में पूरी तरह से भाग लेना चाहिए।

VISION IAS

6.5.1. निरस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति

(Disarmament and Security Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र महासभा की नि:शस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति ने परमाणु हथियारों के निषेध के लिए नई अंतरराष्ट्रीय संधि पर अगले वर्ष वार्ता शुरू करने के लिए मतदान किया है।
- पाँच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद परमाणु शक्तियों में से चार- ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया।

परमाणु अप्रसार संधि(NPT) के बारे में

- NPT एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और इससे आगे परमाणु नि:शस्त्रीकरण तथा सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- यह 1970 में अस्तित्व में आया। 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- यह संधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को मान्यता प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के चार सदस्य देश- भारत, इजरायल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान परमाणु अप्रसार संधि में कभी शामिल नहीं हुए।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह परमाणु-निर्भर सरकारों, जोकि अप्रसार संधि के तहत अपने विशेषाधिकार बनाये रखना चाहते हैं, की वीटो शक्ति से परे राजनयिक और कानूनी कार्रवाई को प्रस्तावित करता है।
- नयी बहुपक्षीय संधि पहली बार परमाणु हथियारों के प्रयोग, तैनाती, उत्पादन, परिवहन, एकत्रीकरण और वित्तपोषण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- इससे स्पष्ट, सुगम कानूनी बाध्यता का निर्माण कर मौजूदा हथियारों को समाप्ति द्वारा अप्रसार संधि के परमाणु निरस्त्रीकरण दायित्व का विस्तार होगा जोकि गैर-NPT देशों के साथ ही सभी NPT देशों पर भी लागू होगा।

6.6. भारत और AARDO के बीच समझौता ज्ञापन

(MoU between India and AARDO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैबिनेट ने भारत और अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) के बीच तीन वर्षों (2015 - 2017) के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

समझौता ज्ञापन के बारे में

- ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का इन तीन वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो से तीन सप्ताह होगी।

समझौता ज्ञापन का महत्व

- इससे अफ्रीकी और एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे इस क्षेत्र में प्यास, भूख, अशिक्षा, बीमारी और गरीबी उन्मूलन की दिशा में मदद मिलेगी।

VISION IAS

AARDO बारे में

- AARDO, 1962 में स्थापित एक स्वायत्त, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- AARDO में वर्तमान में अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के 31 देश हैं।
- भारत, इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और सदस्यों के बीच सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

6.7. मालदीव का राष्ट्रमंडल से इस्तीफा

(Maldives quits Commonwealth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मालदीव ने भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप के चलते राष्ट्रमंडल छोड़ दिया।
- अक्टूबर 2013 में गाम्बिया के बाद यह राष्ट्रमंडल छोड़ने वाला नवीनतम सदस्य है।

पृष्ठभूमि

- मालदीव सरकार को विपक्षी नेताओं को हिरासत में रखने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने सहित अन्य चिंताओं को दूर करने के लिए तीन बार नोटिस और छह महीने का समय दिया गया था।
- मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने, विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न करने तथा असंतोष को प्रतिबंधित करने, कुचलने और दंडित करने के लिए राज्य संस्थाओं (न्यायपालिका, विधायिका और पुलिस सहित) के दुरुपयोग के सबूत पाए गए।
- मालदीव के पिछले राष्ट्रपति की कैद को अवैध पाया गया था और वर्तमान राष्ट्रपति को उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

राष्ट्रमंडल छोड़ने के संबंध में मालदीव द्वारा दिए गए कारण

- विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि संगठन द्वारा उसके साथ "अन्यायपूर्ण और गलत तरीके से" व्यवहार किया गया।
- “लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रमंडल की अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने और लाभ उठाने के लिए" उसका इस्तेमाल किया गया।
- उसने तर्क दिया है कि मालदीव को दंडित करने का निर्णय अनुचित था, क्योंकि जांच आयोग ने मालदीव में सत्ता के हस्तांतरण को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पाया था।

राष्ट्रमंडल क्या है?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1949 में हुई। इसकी स्थापना ब्रिटेन सहित पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे और पराधीन देशों से मिलकर हुई।
- अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र से कई देश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हुए, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 52 है।
- सदस्यता, स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है।
- राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हुए अंतिम दो देश रवांडा और मोजाम्बिक हैं।

6.8.अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

(International Criminal Court: ICC)

सुर्खियों में क्यों ?

बुरुंडी, दक्षिण अफ्रीका और गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC की सदस्यता त्याग दी है। अब केन्या और युगांडा का भी यही इरादा है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- दक्षिण अफ्रीका 1998 की रोम संविधि, जिसके तहत न्यायालय की स्थापना हुई थी, को छोड़ने वाला प्रथम देश बना।
- दक्षिण अफ्रीका की ICC से प्रस्तावित वापसी एक ऐसे देश की न्याय के लिए आश्चर्यजनक उपेक्षा दर्शाती है, जो लम्बे समय तक गंभीरतम अपराधों के शिकार लोगों के लिए वैश्विक नेता के रूप में जवाबदेह रहा है।

ICC: चिंता के प्रमुख बिंदु

- **न्यायाधिकार का अभाव-** ICC का विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल पर न्यायाधिकार नहीं है।
- **संकीर्ण अधिदेश-** यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) के अधिकारों के उल्लंघन की जांच नहीं करता है।
- **कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं-** यह अपने अधिकार के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर है।
- राजनीति से प्रेरित अभियोजन के विरुद्ध सुरक्षा उपाय होने के बावजूद राजनीतिक अभियोजन और गैरजिम्मेदार अभियोजन पक्ष।
- **राज्य संप्रभुता बनाम सार्वभौमिक न्यायाधिकार के बीच अस्पष्टता-** ICC के कानूनी और राजनीतिक आधारों के बीच संबंधों में अस्पष्टता पैदा होती है, क्योंकि मुख्य रूप से एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचे के भीतर संचालन के बावजूद, न्यायालय उन नीतियों की वजह से कमजोर है जिन पर अभी तक संप्रभु मॉडल का प्रभुत्व है।

क्या किये जाने की जरूरत है?

- रोम संविधि में अनेक अस्पष्टताएं हैं जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से समर्थन जो ICC के मामलों पर वीटो शक्तियां धारण किये हुए हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ICC अपने मौजूदा जांच और मामलों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके ICC की क्षमता में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- उचित फंडिंग प्रणाली के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के उपायों के साथ जांच और अभियोजन का सुदृढ़ीकरण।
- पीड़ितों की भागीदारी और उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए सहायता।

ICC के बारे में

- यह विश्व की प्रथम कानूनी संस्था है जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने का स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकार है।
- हेग स्थित ICC के 124 देश सदस्य हैं।

6.9. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(UN Human Rights Council)

सुर्खियों में क्यों ?

- सीरिया में अपनी नीतियों के संबंध में युद्ध अपराधों के आरोपों के कारण रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अपनी सीट को बनाए रखने के प्रयास में असफल रहा।

VISION IAS

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- एक दशक पहले UNHRC के निर्माण के बाद से यह पहला अवसर था जबकि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य परिषद के लिए निर्वाचित होने में विफल रहा।

रूस के बाहर होने के बाद संभावित प्रभाव

- इससे सीरिया को लेकर रुस की विदेश नीति में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं है।
- यह रूस और पश्चिम, विशेष रूप संयुक्त राज्य अमेरिका, के बीच तनावपूर्ण संबंधों को और भड़का सकता है, और रूस में मानव अधिकारों की स्थिति और खराब हो सकती है।
- रूस का UNHRC से बाहर होना सऊदी अरब के परिषद में सफलता पूर्वक पुनर्निर्वाचन से असंगत है। यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब द्वारा की गई कार्रवाई की कठोर आलोचना के बावजूद, सऊदी अरब मानवाधिकार परिषद में अपनी जगह बनाये रखने में सफल रहा। यह मानव अधिकारों को पश्चिमी हस्तक्षेप के एक उपकरण के रूप में उपयोग को रेखांकित करता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में

- परिषद जिनेवा स्थित 47 सदस्यीय निकाय है।
- इसे वर्ष 2006 में वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- परिषद के सदस्य विभिन्न देशों को मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए कार्य करते हैं।
- यह उल्लंघन के मामलों को प्रकाश में लाने से लेकर सुरक्षा परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के लिए एक रेफरल बनाने के लिए अनुशंसा करने तक का निर्णय करती है।
- परिषद के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह उल्लंघन करने वाले देश पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती है और विशेष प्रतिवेदक (Rapporteurs) रख सकती है, जिनके पास जांच-पड़ताल और मानव अधिकारों के हनन के प्रतिवेदन का अधिदेश (मैंडेट) होता है।

6.10. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का भाषण

(India's Speech at UNGA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसे एक सुविचारित और अच्छी तरह से तैयार भाषण के रूप में माना गया जिसने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ ही आतंकवाद जैसे भारत के लिए चिंता के प्रमुख मुद्दों को छुआ।

भाषण का महत्व

- **युद्ध के ऊपर कूटनीति को वरीयता:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पाकिस्तान को कूटनीतिक रुप से अलग-थलग किया। भारत ने इस संबंध में एक मजबूत संदेश दिया कि देश में किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को सहन नहीं किया जायेगा।
- **कश्मीर पर कोई समझौता नहीं:** भारत ने स्पष्ट शब्दों में जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया।
- **बलूच में अधिकारों के हनन का मामला उठाया:** भारत ने बलूच मुद्दे को उठाया और इस प्रकार ब्रह्मदाग बुगती को राजनीतिक शरण देने के अपने फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट किया। यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बलूचिस्तान को एक मुद्दा बनाने में मदद करेगा।
- **जब तक आतंकवाद है तब तक कोई बातचीत नहीं:** भारत ने बातचीत के लिए "नो टेरर" की पूर्व शर्त लगाई और संयुक्त राष्ट्र से भारत-प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (काम्प्रिहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म: CCIT) को

VISION IAS

पारित करने का आग्रह किया। CCIT एक कानूनी ढांचे का प्रावधान करता है जिसके तहत सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे आतंकवादी समूहों को धन और सुरक्षित ठिकाने नहीं प्रदान करें।

- **सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता:** स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन-धन योजना और कौशल भारत कार्यक्रम के माध्यम से भारत द्वारा किये प्रयासों के लिए भारत की SDGs के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की गई।